

**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**पो0-गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार।**

संख्या :: 208/09/डी0आर0/सेवा-02/2013-14

दिनांक :: 16 सितम्बर, 2016

**चयन परिणाम**

उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कर एवं राजस्व निरीक्षक के 04 (02 पद अनारक्षित व 02 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 03/विज्ञापन/सेवा-2/2015-16, दिनांक 23 जून, 2015 के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 07 एवं 08 सितम्बर, 2016 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में सफल घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी/उपश्रेणी	अभ्युक्ति
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	500634	SANJAY SINGH MANRAL	GENERAL	Provisional
2.	501591	BHARTI	SC/UF /GENERAL	Provisional
3.	500469	SAROJ GAUTAM	SC/UF	--
4.	500364	PRIYANKA ARYA	SC/UF	--

साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक (Maximum Marks) 100 तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 35, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 40 तथा अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 45 हैं। श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक (Cut-off-marks) निम्न प्रकार से हैं :-

श्रेणी	प्राप्तांक	आयु		
		YY	MM	DD
GENERAL	65	28	03	15
SC	50	27	12	12
SC/UF	55	30	11	15

भवदीय

(एस0एन0 पाण्डे)  
सचिव। 16.09.2016

## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0- गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

संख्या :: 208(4)/09/डी0आर0/सेवा-02/2013-14 दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

### साक्षात्कार प्राप्तांक सूची

उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कर एवं राजस्व निरीक्षक के रिक्त 04 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-03/विज्ञापन/सेवा-2/2015-16, दिनांक 23 जून, 2015 के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 07 एवं 08 सितम्बर, 2016 के आधार पर प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Roll No.	Marks
1.	500634	70
2.	501591	65
3.	500854	60
4.	502140	60
5.	500469	55
6.	500364	50
7.	502196	50
8.	500708	45
9.	501320	45
10.	502031	45
11.	500544	45
12.	501074	45
13.	500673	45
14.	502489	45
15.	500117	45

16.	501777	41
17.	500257	40
18.	500573	35
19.	500799	35

नोट— दो या अधिक अभ्यर्थी के बराबर अंक होने पर संगत सेवा नियमावली के अनुसार आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया है।

(एस0एन0 पाण्डे)  
सचिव। 16.05.2016